मत्स्य न्याय का समापन: निचली न्यायपालिका की क्षमता कैसे बढ़ाएं

05

अध्याय

''कानून का शासन और व्यवस्था बनाए रखना ही शासन का विज्ञान है''
-कौटिल्य अर्थशास्त्र, 400 ई.पू.

''यदि कानून के शासन की अवहेलना की जाती है,

तब किसी प्रकार के ज्ञान को कोई महत्व नहीं रह जाता है''
-कामंदक नीतिसार, 400 ई. युग

वर्तमान में, भारत में व्यवसाय करने को सुगम बनाने में तार्किक रूप से एकल सबसे बड़ी बाधा संविदाओं को लागू करने और विवादों का समाधान करने की सामर्थ्य है। न्यायिक प्रणाली में लंबित 3.5 करोड़ विवादों को ध्यान में रखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह समस्या जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक गंभीर है। तथापि, परम्परागत विश्वास के विपरीत, यह समस्या ऐसी नहीं है कि इसका समाधान न किया जा सके। निचली अदालतों में केवल 2,279 न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में 93 न्यायाधीशों को बढ़ाकर कार्यक्षमता में किसी वृद्धि के बिना ही 100 प्रतिशत मामला निस्तारण दर (अर्थात् शून्य संचय) प्राप्त की जा सकती है। यह पद पहले से ही संस्वीकृत है और केवल रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है। पाँच वर्षों में बैकलॉग पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यक्षमता वृद्धि का परिदृश्यात्मक विश्लेषण यह सुझाता है कि अपेक्षित उत्पादकता वर्धन उच्चाकांक्षी हैं, अपितु साध्य हैं। किसी भलीभांति कार्य करने वाली कानूनी प्रणाली के संभावित आर्थिक और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह भारत द्वारा किया जा सकने वाला सर्वश्रेष्ठ निवेश हो सकता है।

प्रस्तावना

5.1 प्राचीन काल से ही, भारतीय मनीषियों द्वारा आर्थिक अभिशासन और विधि शासन (दंडनीति) के बीच संबंध को महत्व दिया गया है। इसे समृद्धि की कुंजी, और मत्स्य न्याय (अर्थात मत्स्य/जंगलराज) के विरुद्ध एक रक्षण-साधन के रूप में देखा गया है। अत: इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत के संविधान की उद्देशिका यह परिभाषित करती है कि राज्य की प्रथम भूमिका 'इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करना है'। दूसरे शब्दों में, इसे भलीभांति स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक सफलता और समृद्धि का संविदाओं को लागू करने और विवादों का समाधान करने की सामर्थ्य से काफी अधिक सहबद्ध है।

5.2 पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा (2017-18) में बैकलॉग मामलों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था जिससे भारतीय न्यायपालिका, आर्थिक अधिकरणों तथा कर विभाग का कामकाज प्रभावित होता है, जिसके कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। इसने इस तथ्य को भी उजागर किया था कि शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता को लागू करके तथा माल और सेवा कर को अपनाकर, मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में सरकार के प्रयासों का भारत में व्यवसाय करने के कार्य को सुगम बनाने पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है[1]।

1 विश्व बैंक की व्यवसाय करने की सुविधा रिपोर्ट (ईओडीबी) रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत सबसे अधिक सुधार वाले देशों में शामिल है जिसका अनुक्रम चार वर्षों में 142 से बदलकर 77 हो गया है।

5.3 इस प्रगति के बावजूद, भारत संविदाएं लागू करने से संबंधित सूचक के आधार पर पिछड़ रहा है, यह ईओडीबी 2018 की अद्यतन रिपोर्ट में 164 से केवल एक स्थान ऊपर चढ़कर 163 पर ही पहुंचा है। संविदा प्रवर्तन व्यवस्था में तेजी लाने और बेहतर बनाने के लिए की गई अनेक कार्रवाइयों के बावजूद, आर्थिक कार्यकलाप समूचे विधिक क्षेत्र[2] में विलम्ब और लंबित मामलों से प्रभावित हो रहा है। हमारे व्यवसाय करने को सुगम बनाने के अनुक्रम को बेहतर बनाने में सबसे बड़ी बाधा संविदा लागू करना बना हुआ है। यह ऐसे देश के लिए एक विडम्बना है जिसका संविदा लागू करना ऐतिहासिक आदर्शवाद रहा हो। जैसा कि तुलसीकृत रामायण में उल्लेख है: ''प्राण जाय पर वचन न जाई'' अर्थात किसी को दिया गया वचन उसके जीवन से अधिक मूल्यवान होता है।

5.4 भारतीय न्यायिक प्रणाली में 3.53 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं[3] (चित्र 1 देखें)। प्रथम दृष्ट्या, यह संख्या बहुत बड़ी और अजेय लगती है, लेकिन इस अध्याय में यह तर्क दिया जाएगा कि यह संभावित रूप से हल किए जा सकने योग्य समस्या है। वस्तुत: संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए, यह भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किए जा सकने वाला सर्वश्रेष्ठ निवेश हो सकता है।

चित्र 1: भारत के भिन्न-भिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का संविवरण

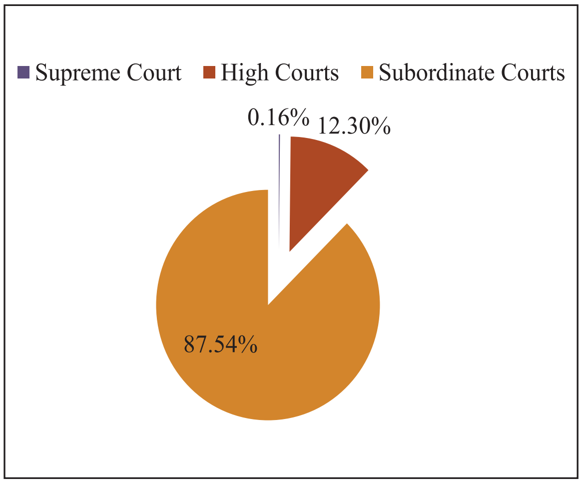

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय और एनजेडीजी, 2019

5.5 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (डीएंडएस न्यायालय) में कुल लंबित मामलों का 87.54 प्रतिशत है, इस अध्याय में इस संदर्भ पर प्रकाश डाला जाएगा तथा निपटान अवधि, लंबित अवधि, मामले के प्रकारों और मामला निस्तारण दर जैसे मानकों के संबंध में इसके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अध्याय में 100 प्रतिशत निस्तारण दर हासिल करने तथा अगले पांच वर्षों में लंबित स्टॉक को समाप्त करने के लिए न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता और कार्यक्षमता वर्धन का विश्लेषण भी किया जाएगा।

5.6 निम्नलिखित खण्ड जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के निष्पादन का, उस मीट्रिक्स का उपयोग करके जो वादकारी के अनुभव के भिन्न-भिन्न पहलूओं को दर्शाते हैं, का सिंहावलोकन मुहैया कराते हैं। इनमें मामलों की औसत आयु (लंबित और निपटाए गए दोनों), सुनवाइयों के बीच दिनों की संख्या और मामलों के जीवन चक्र पर लगे समय की औसत अवधि शामिल हैं।

चित्र 2: जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों (आयु-वार) का संवितरण

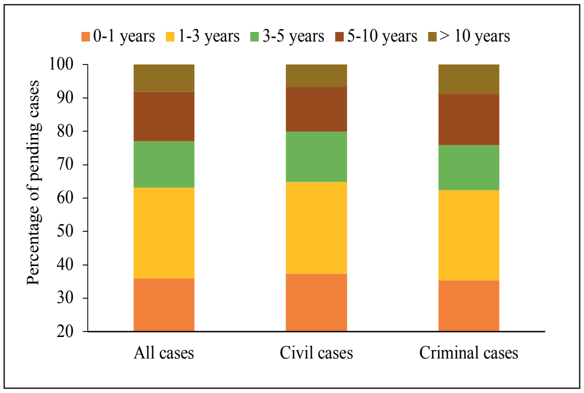

स्रोत: एनजेडीजी, मई 31, 2019 की स्थिति के अनुसार

---

2 देखें आर्थिक समीक्षा 2018 अध्याय 9, खंड I

3 स्रोत: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आंकड़े राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार लिए गए हैं तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए आंकड़े इसकी वेबसाइट से 1 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार लिए गए हैं।

चित्र 3: जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार लंबित मामले

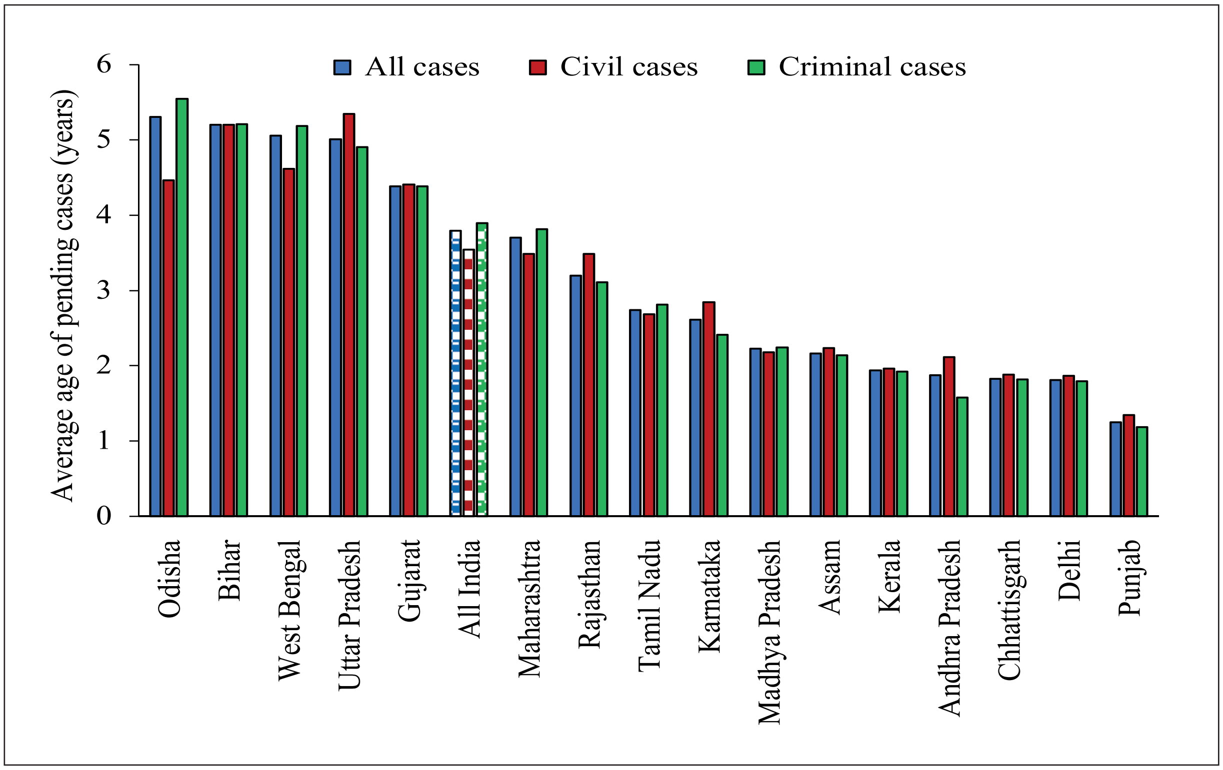

स्रोत: एनजेडीजी, मई 31, 2019 की स्थिति के अनुसार

लम्बित मामले

5.7 किसी दी गई तारीख को किसी मामले का लंबित रहना उस मामले को दायर करने की तारीख से उस तारीख तक लगने वाला समय माना जाएगा। 31 मई 2019 की स्थिति के अनुसार, लम्बित पड़े मामलों की आयु का संवितरण चित्र 2 में दर्शाया गया है। यह प्रकट करता है कि सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के लंबित मामलों का संवितरण कमोवेश एक जैसा ही है। सभी मामलों में से 64 प्रतिशत से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा अवधि से लम्बित हैं। चित्र 3 में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में औसतन लंबित मामलों में अंतर-राज्य भिन्नता को दर्शाया गया है। यह प्रकट करता है कि सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों में राष्ट्रीय औसतों की तुलना में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में लंबित मामलों का औसत उच्चतर है जबकि पंजाब और दिल्ली में लंबित मामलों का औसत सबसे कम है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य आम तौर पर (यद्यपि सदैव नहीं) सबसे गरीब राज्य भी हैं।

चित्र 4: जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में निपटाए गए मामले-2018

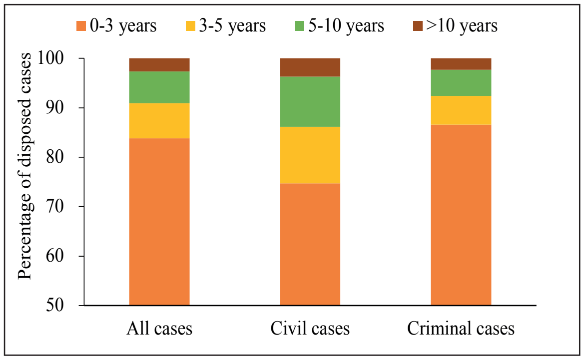

स्रोत: एनजेडीजी, 2019

निपटान

5.8 मामला दायर करने की तारीख से लेकर मामले में निर्णय सुनाए जाने तक की तारीख तक लगने वाले समय को निपटान समय के रूप में मापा जाता है। वर्ष 2018 में डीएंडएस न्यायालयों के लिए निपटान अवधि का आयु-वार संवितरण नीचे दिया गया है:

चित्र 5: जिला एवं अधीनस्थ न्यायलयों में राज्य-वार औसत निपटान समय (2018)

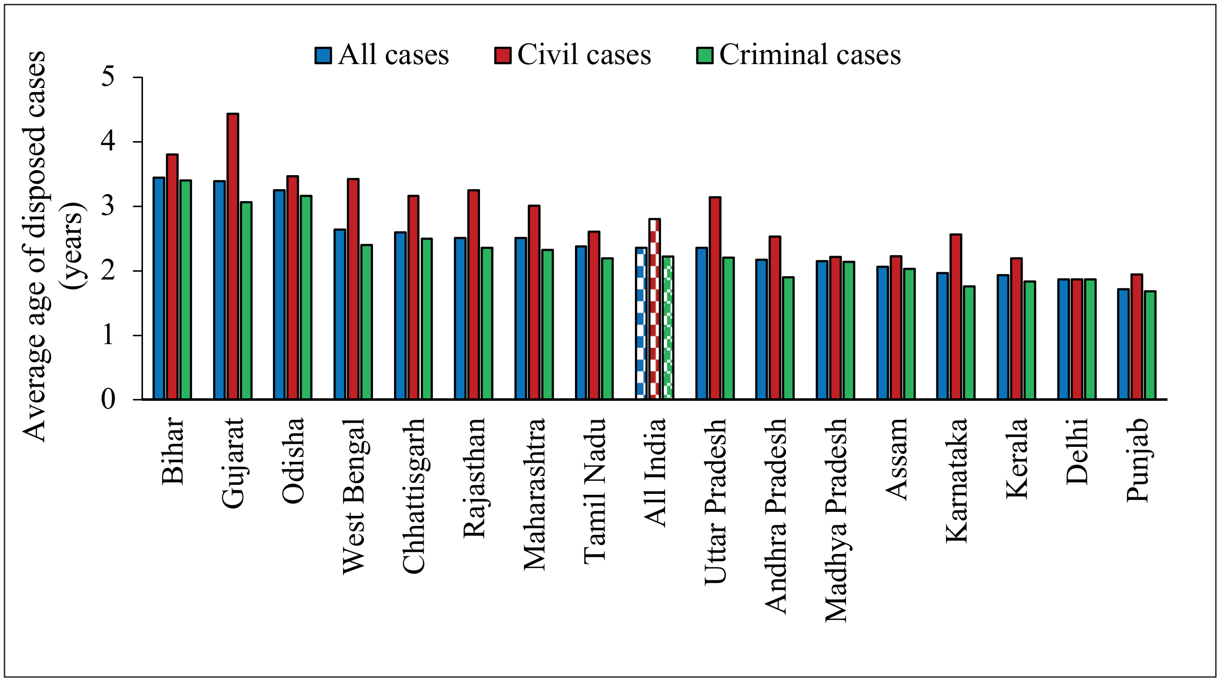

स्रोत: एनजेडीजी, 2019

यह प्रकट करता है कि 74.7 प्रतिशत सिविल मामलों और 86.5 प्रतिशत आपराधिक मामलों का निपटान तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य-वार निपटान दर का संवितरण चित्र 5 में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक निपटान समय लगता है। इसके अलावा, पंजाब और दिल्ली में औसत निपटान समय सबसे कम है। राज्य-वार औसत लंबित अवधि के संवितरण के अनुसार, ये रुझान निरंतर बने हुए हैं। पुन:, पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्यों का निष्पादन सबसे खराब है और गुजरात में भी निपटान समयावधि अधिक है।

चित्र 6: औसत निपटान समय-भारत और काउंसिल ऑफ यूरोप

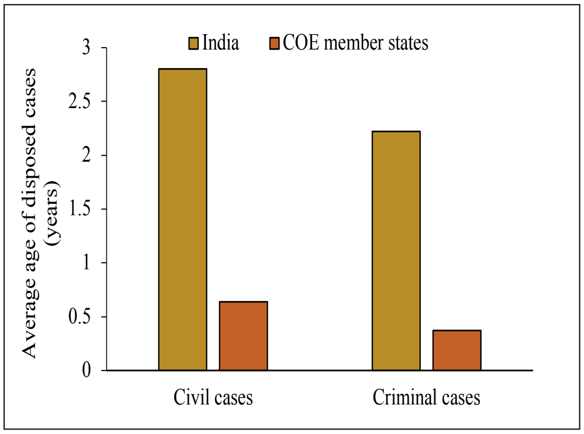

स्रोत: एनजेडीजी, 2019, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपीय कमीशन फॉर दी एफ्फिसिएंसी ऑफ जस्टिस (सीईपीईजे, 2016)

5.9 चित्र 6 में निपटान दर की अंतर्राष्ट्रीय तुलना को प्रस्तुत किया गया है। आंकड़े प्रकट करते हैं कि जब काउंसिल ऑफ यूरोप सदस्यों के औसत (2016) की तुलना 2018 में भारतीय डीएंडएस न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के लिए औसत निपटान समय के साथ की गई, तब यह क्रमश: 4.4 गुना था और 6-गुना अधिक था। यह इंगित करता है कि भारतीय डीएंडएस न्यायालयों के लिए निपटान समय में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। निम्नलिखित भाग में मामला निस्तारण दर की संरचना का प्रयोग करके न्यायालयों की कारगरता और कार्यक्षमता का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

चित्र 7: जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में संस्थापन, निपटान और निस्तारण की दरें

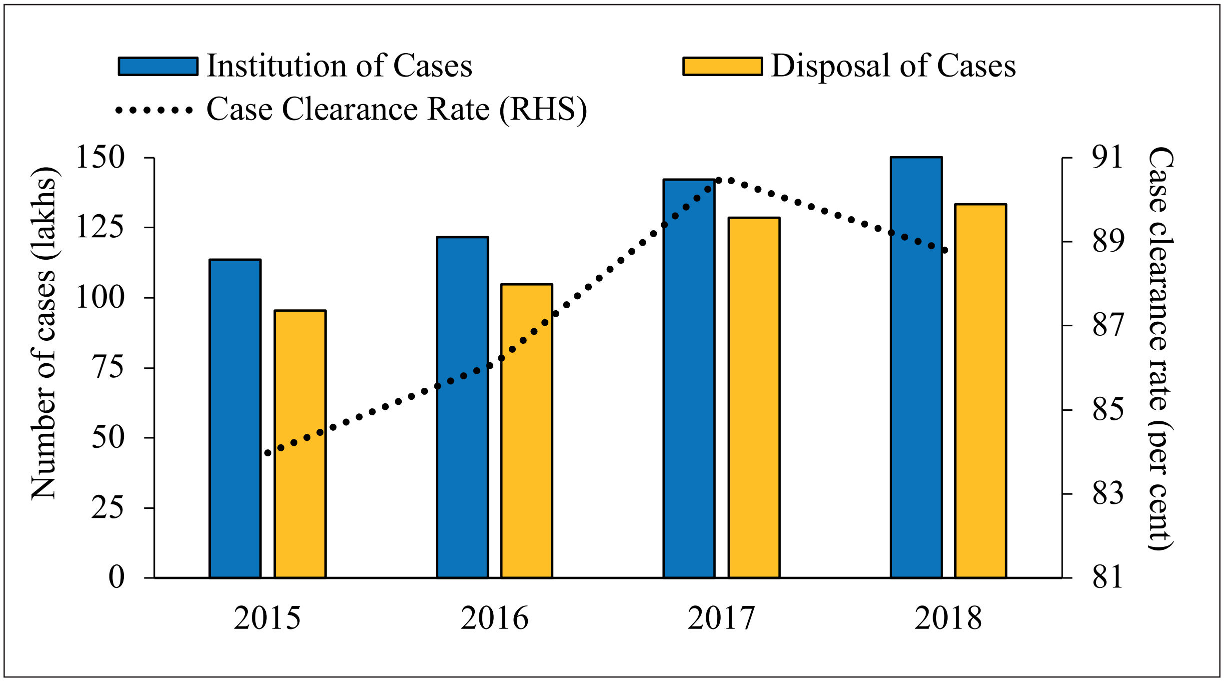

स्रोतः एनजेडीजे, 2019

मामला निस्तारण दर

5.10 किसी वर्ष में दायर किए गए मामलों की संख्या की तुलना में उस वर्ष में निपटान किए गए मामलों की संख्या के अनुपात को मामला निस्तारण दर (सीसीआर) कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। यह नोट किया जाए कि यह आवश्यक नहीं है कि निपटान किए गए मामले भी उसी वर्ष में दायर किए गए हों, क्योंकि उनमें से कुछ आमतौर पर पिछले वर्षों का बैकलॉग होगा – निस्तारण दर का मुख्य रूप से प्रयोग मामलों के आगमन के अनुपात में प्रणाली की कार्यक्षमता को समझने के लिए किया जाता है।

5.11 चित्र 7 संस्थापन, निपटान किए गए मामलों और अखिल भारतीय स्तर पर मामला निस्तारण दर के बीच संबंध को दर्शाता है जहां डीएंडएस न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष संस्थापन हुए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं निपटान किए गए मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तथापि, संस्थित मामलों और निपटान किए गए मामलों के बीच अंतर से मामलों का जमावड़ा बढ़ता है, जिसकी निरंतरता से लंबित मामलों की संख्या में उछाल आता है। इसका कारण यह है कि मामला निस्तारण

चित्र 8: विवाद निस्तारण दरें: अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं

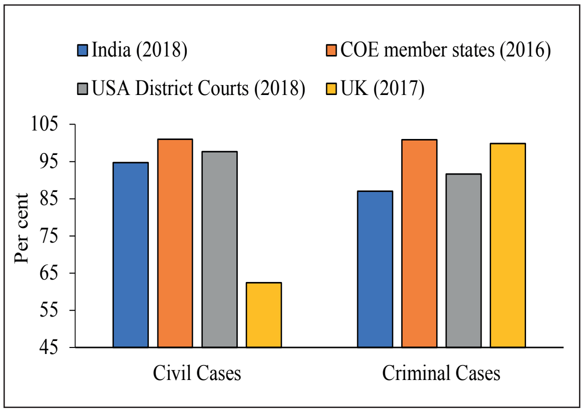

स्रोतः एनजेडीजे, सीईपीईजे, यूएस न्यायालय, यूके संसद अनुसंधान सार, 2019

दर संरचनात्मक रूप से 100 प्रतिशत से नीचे रहती है। प्रोत्साहित करने वाला संकेत यह था कि सीसीआर 2015 में 86.1 प्रतिशत की तुलना में 2017 में बढ़कर 90.5 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, परंतु 2018 में फिर गिरकर 88.7 प्रतिशत रह गई।

5.12 सीसीआर की अंतर्राष्ट्रीय तुलना चित्र 8 में दर्शाई गई है। यह दर्शाता है कि भारत में सिविल मामलों और

आपराधिक मामलों के लिए मामला निस्तारण दर 2018 में क्रमश: 94.76 प्रतिशत और 87.41 प्रतिशत थी, जबकि सीओई सदस्य 2016 में ही सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए 100 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर हासिल कर चुके थे। 100 प्रतिशत से नीचे की सीसीआर और पहले से मौजूदा मामलों के अत्यधिक बैकलॉग से, भारतीय न्यायालय उत्तरोत्तर विलम्ब से ग्रस्त हैं। यूएसए की जिला अदालतों की सीसीआर बेहतर है, जो सिविल मामलों और आपराधिक मामलों, दोनों के लिए क्रमश: 98 प्रतिशत और 92 प्रतिशत है। यूके के इंग्लैंड में आपराधिक न्यायालय और वेल्स में न्यायालय प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक अच्छा प्रदर्शन करती है, उनकी निस्तारण दर मोटे तौर पर 100 प्रतिशत हैं, जबकि उनके सिविल न्यायालयों का भारत, यूएसए और सीओई की औसत की तुलना में काफी खराब निष्पादन है, उनकी निस्तारण दर मात्र 62 प्रतिशत है।

क्या विधिक गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है?

5.13 न्यायपालिका को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए, फिलहाल दो मुख्य मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। पहला, 100 प्रतिशत निस्तारण दर हासिल करना ताकि मौजूदा लंबित वादों में आगे कोई वृद्धि न हो। दूसरा, प्रणाली में पहले से मौजूद मामलों के बैकलॉग को समाप्त करना। विभिन्न न्यायालय स्तरों पर मामलों की आवक-जावक मैट्रिक्स के सिद्धांत का प्रयोग करके उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है। यह स्वीकार्य है कि निपटान दर में वृद्धि की जा सकती है। तथापि, इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उत्पादकता को ज्यों का त्यों माना गया है।

5.14 साधारण आवक-जावक मॉडल का प्रयोग करके, समीक्षा में निचले न्यायालय न्यायाधीशों की ऐसी अतिरिक्त

चार्ट-1: जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायधीशों की आवश्यकता

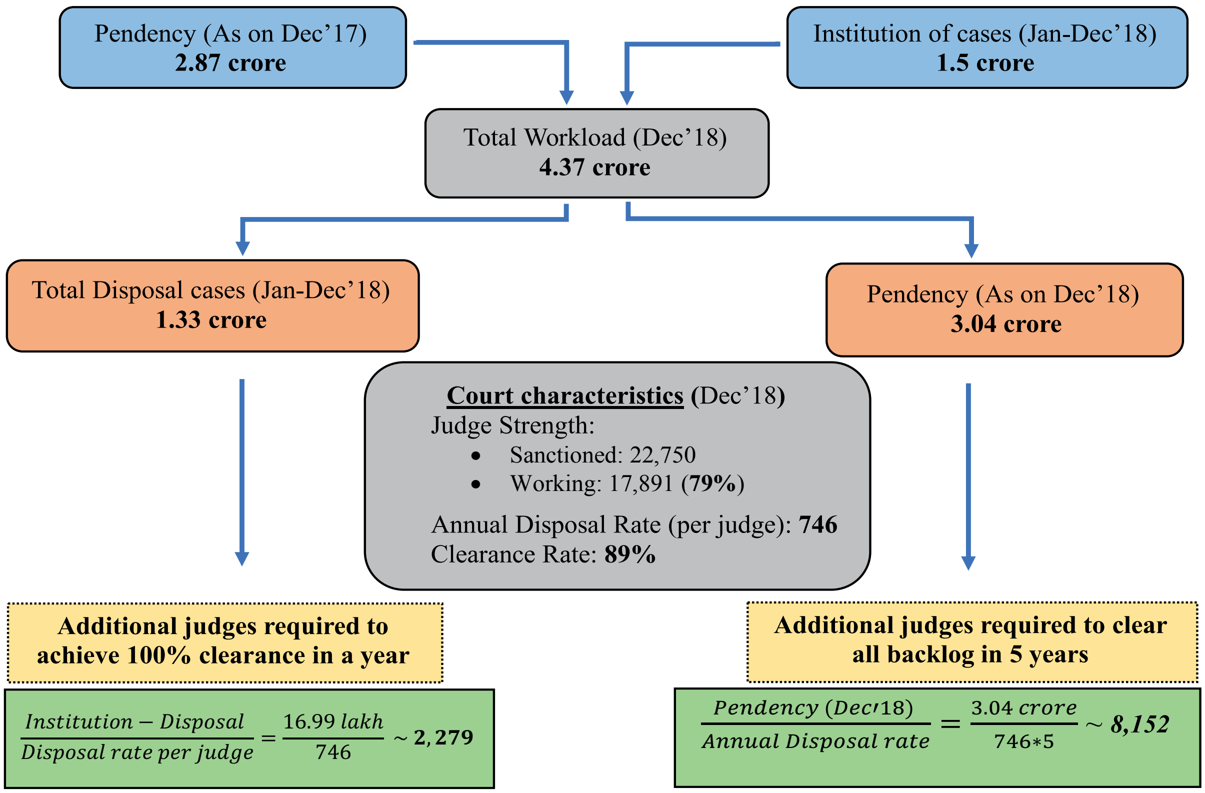

स्रोत: न्यायालय समाचार – उच्चतम न्यायालय एजेडीजी, 2018 तथा समीक्षा का आंकलन

संख्या प्राप्त करने की कोशिश की है, जो लंबित मामलों में आगे और वृद्धि को रोकने और बैकलॉग समाप्त करने के लिए आवश्यक होगी। डीएंडएस न्यायालयों में वर्ष 2018 में 1.5 करोड़ अतिरिक्त मामले आए और 2.87 करोड़ (01 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार) का पहले से बैकलॉग था। वर्ष 2018 में निपटान किए गए मामलों की संख्या 1.33 करोड़ थी। इस प्रकार, वर्ष 2018-की समाप्ति पर पिछला शेष 3.04 करोड़ था। वर्तमान में 22,750 की संस्वीकृत संख्या की तुलना में 17,891 न्यायाधीश हैं। औसतन, एक न्यायाधीश 746 मामलों का निपटान करता है। चार्ट 1 में, डीएंडएस न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या की गणना को दर्शाया गया है। 2018 में 100 प्रतिशत निस्तारण दर प्राप्त करने के लिए, डीएंडएस न्यायालयों के लिए 2,279 अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता थी। यह संख्या संस्वीकृत संख्या के भीतर ही है! तथापि, अगले पांच वर्षों में पिछले सभी लंबित मामलों का निपटान करने के लिए, 8,152 अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। यह केवल मोटे तौर पर की गई गणना है, परंतु यह दर्शाती है कि कार्यक्षमता में भी वृद्धि अपेक्षित है।

5.15 उच्चतर न्यायालयों के मामले में समान संरचना को लागू करने पर, हम पाते हैं कि इन संख्याओं में और कमी आ जाती है (ध्यातव्य हो कि यहां दिया गया डाटा जुलाई-जून का है)। जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय के मौजूदा कार्यकारी न्यायधीशों की संख्या उनकी संस्वीकृत संख्या का 62 प्रतिशत थी। 88 प्रतिशत की निस्तारण दर के साथ, प्रत्येक न्यायाधीश ने प्रति वर्ष 2,348 मामलों की औसत निपटान दर हासिल की थी। जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, बैकलॉग की संख्या 44.40 लाख थी। 100 प्रतिशत सीसीआर प्राप्त करने के लिए, उन्हें केवल 93 अतिरिक्त न्यायाधीशों की जरूरत है। यह उच्च न्यायालयों के लिए मौजूदा संस्वीकृत संस्था के भीतर ही है। अगले पांच वर्षों में सभी लंबित मामलों का निपटान करने के लिए, उच्च न्यायालयों के लिए 361 अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है।

5.16 अक्तूबर 2018 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश उनकी संस्वीकृत संख्या के 90

चार्ट-2: उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता

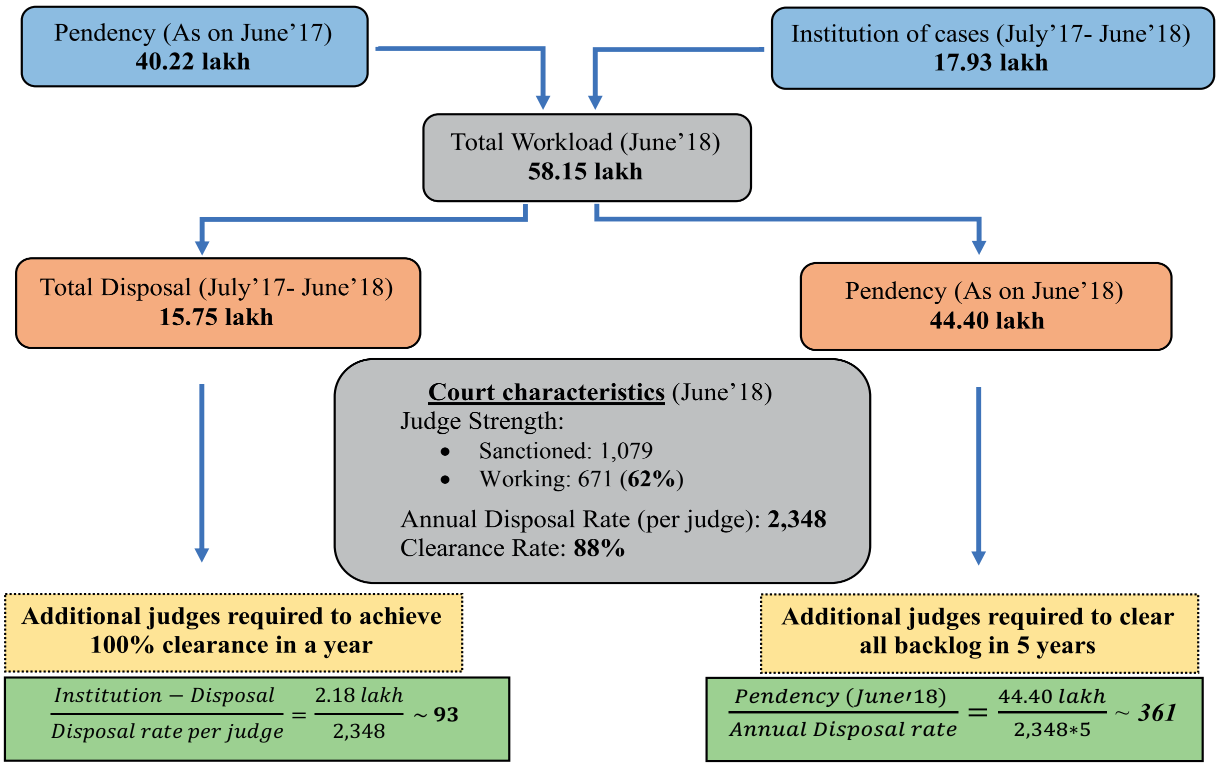

स्रोत: उच्चतम न्यायालय वार्षिक रिपोर्ट, 2018 और समीक्षा आंकलन

चार्ट 3: उच्चतम न्यायालय में अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीश (मौजूदा कार्यक्षमता के अनुसार)

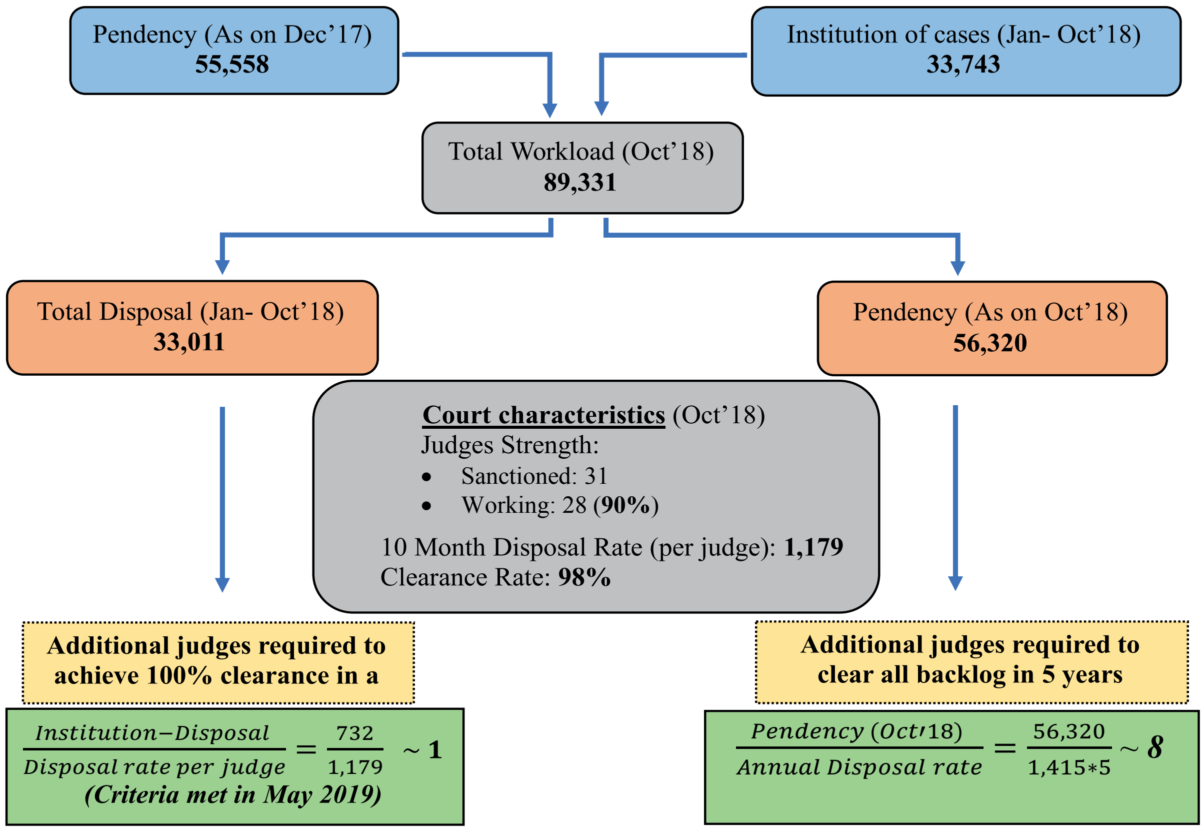

स्रोत: उच्चतम न्यायालय वार्षिक रिपोर्ट, 2018 और समीक्षा आंकलन

नोट: पांच वर्ष में संपूर्ण बैकलॉग समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायधिशों की संगणना हेतु निपटान दर को पूर्ण वर्ष के लिए समायोजित किया गया है।

प्रतिशत पर कार्य कर रहे थे। 98 प्रतिशत की उच्च मामला निस्तारण दर के साथ, प्रत्येक न्यायाधीश प्रति वर्ष औसतन 1,415 मामले निपटाता है। अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, बैक्लॉग की संख्या 56,320 थी। 100 प्रतिशत मामला निस्तारण दर प्राप्त करने के लिए, उच्चतम न्यायालय को 2018 में केवल एक अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता होगी। अगले पांच वर्षों में सभी लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए, आठ अतिरिक्त न्यायाधीश आवश्यक हैं। मई 2019 में, उच्चतम न्यायालय में तीन और न्यायाधीश नियुक्त किए गए जिससे उनकी संख्या बढ़कर पूर्ण संस्वीकृत संख्या 31 के बराबर हो गई। बैकलॉग समाप्त करने के लिए, उच्चतम न्यायालय को अपनी स्वीकृत संख्या में छह की वृद्धि करने की आवश्यक है।

5.17 इस विश्लेषण का मुख्य बिन्दु यह है कि विधिक प्रणाली में सापेक्षतया लघु निवेश के जरिए आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की राह में एक प्रमुख बाधा समाप्त की जा सकती है। उपर्युक्त संख्याएं उदाहरण स्वरूप है, किन्तु यह दर्शाता है कि अत्यधिक बहस वाला न्यायिक गतिरोध हल किए जा सकने योग्य है।

अतिरिक्त न्यायाधीश कैसे आवंटित किए जाएं?

5.18 इन अतिरिक्त जिला और अधीनस्थ न्यायाधीशों का इष्टतम रूप में आवंटन करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित खण्ड में सिविल और आपराधिक लंबित मामलों दोनों में मामलों के सामान्य प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार के मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश अपेक्षित हैं।

मामलों के प्रकार

5.19 सिविल और आपराधिक मामलों के प्रकार, उनकी विषय वस्तु तथा विधान जिसके अंतर्गत वे दायर किए गए

सारणी 1: कुल लंबित मामलों में लंबित मामलों के सामान्य प्रकारों का भार

मामलों के सामान्य प्रकार		प्रतिशत में
क. सिविल मामले		
सिविल मूल वाद	सिविल वाद	14.00
	मोटर वाहन	2.84
	विवाह संबंधी याचिका	1.22
	भू-संदर्भ	0.49
	अन्य सिविल	2.06
कुल सिविल मूल वाद		20.60
सिविल आवेदन		1.96
सिविल निष्पादन		4.21
सिविल अपील		1.61
कुल सिविल वाद		**28.38**
ख. आपराधिक मामले		
आपराधिक मूल वाद	वारंट/समन	56.63
	सत्र मामले	5.60
	अन्य आपराधिक	2.03
कुल आपराधिक मूल वाद		64.26
आपराधिक आवेदन	विचारण-पूर्व	1.57
	जमानत आवेदन	1.57
	अन्य आवेदन	2.66
कुल आपराधिक आवेदन		5.80
आपराधिक अपील		1.56
कुल आपराधिक मामले		**71.62**

स्रोतः एनजेडीजी (2019)

हैं, इस अध्याय में प्रयुक्त मीट्रिक्स के साथ-साथ महत्वपूर्ण अंतर के रूप में परिणामी हो सकते हैं। किसी मामले के प्रकार की जटिलता और गंभीरता उन अवस्थाओं और प्रक्रिया का निश्चय कर सकती है जिनसे इसे गुजरना चाहिए। डीएंडएस न्यायालयों में राष्ट्रीय स्तर पर सिविल और आपराधिक दोनों के लिए लंबित मामलों के सामान्य प्रकारों का संवितरण का स्नैपशॉट सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है:

5.20 सारणी 1 से यह पता चलता है कि 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल मामले कुल लंबित मामलों का केवल 28.38 प्रतिशत थे जबकि आपराधिक मामले लगभग 71.62 प्रतिशत थे। इसके अतिरिक्त, सिविल वाद, सिविल निष्पादन, वारंट/समन और आपराधिक आवेदन मामलों के ऐसे सामान्य प्रकार हैं जो बैकलॉग में अटक जाते हैं। कुल बैकलॉग में

सारणी 2: 2018 में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामले के प्रकार के अनुसार संस्थापन, निपटान और मामला निस्तारण दर

मामलों के सामान्य प्रकार		संस्थापन	निपटान	मामला निस्तारण दर (%)
क. सिविल मामले (कुल)		32,96,242	31,23,642	**94.76**
सिविल मूल वाद		21,77,722	21,09,102	96.85
	सिविल वाद	11,66,259	10,81,236	92.71
	मोटर वाहन	3,71,686	3,99,873	107.58
	विवाह संबंधी याचिका	3,06,932	2,66,649	86.88
	भू-संदर्भ	30,409	58,586	192.66
सिविल आवेदन		4,02,449	3,76,400	93.53
सिविल निष्पादन		5,11,118	4,46,677	87.39
सिविल अपील		1,74,283	1,71,790	98.57
ख. आपराधिक मामले (कुल)		1,16,23,439	1,01,60,317	**87.41**
आपराधिक मूल वाद		86,10,411	73,44,581	85.30
	वारंट/समन	76,28,227	64,52,314	84.58
	सत्र संबंधी मामले	5,29,694	4,79,828	90.59
आपराधिक आवेदन		27,20,351	25,44,683	93.54
	विचारण-पूर्व	3,76,786	3,45,299	96.71
	जमानत आवेदन	11,50,573	11,12,717	93.68
आपराधिक अपील		2,63,407	2,46,756	93.68

स्रोत: एनजेडीजी, 2019

इनका योगदान क्रमश: 14 प्रतिशत, 4.21 प्रतिशत, 55.63 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत है। हमने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2018 के लिए मामले के प्रकार के अनुसार निस्तारण दर की गणना की है, ताकि यह समझा जा सके कि इनमें से कौन-से मामलों में बैकलॉग की प्रवृत्ति है। इसे सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है:

5.21 सारणी 2 से यह पता चलता है कि वर्ष 2018 के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सभी सिविल और आपराधिक मामलों के लिए औसत मामला निस्तारण दर क्रमश: 94.76 प्रतिशत और 87.41 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह है कि न केवल आपराधिक मामलों का बैक्लॉग सिविल मामलों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है, बल्कि आपराधिक मामले के प्रकार में मामला निस्तारण दर भी (88.7 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीसीआर से भी कम) निम्नतर है। इसका अर्थ यह है कि आपराधिक मामलों से संबंधित स्थिति विशेष रूप से बिगड़ती जा रही हैं। समन, वारंटों आदि जैसे आपराधिक मूल वादों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार, इनकी निस्तारण दर 85.3 प्रतिशत रही और कुल लंबित मामलों में इनकी संख्या 64 प्रतिशत है। इसका आशय यह है कि इस प्रकार के मामलों में विशेज्ञता रखने वाले अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है जिससे कि ऐसे मामलों के निपटान की गति में तेजी लाई जा सके। यह उल्लेखनीय है कि यह केवल अतिरिक्त न्यायाधीशों और कानूनी सुधारों का ही मामला नहीं है अपितु पुलिस सुधारों का मामला भी है (एक ऐसा मामला जिसे हम भावी आर्थिक समीक्षा में शामिल करेंगे)। अन्तत:, यह नोट किया जाए कि 'मोटर वाहन' और 'भू-संदर्भ' की तरह के मामलों में काफी अच्छा काम हुआ है, जिनकी निस्तारण दर 2018 में क्रमश: 107.58 और 192.66 प्रतिशत बनी रही है। इन क्षेत्रों में चालू गति को बनाए रखने की आवश्यकता है।

चित्र 9: किसी विशिष्ट अवस्था में व्यतीत मामला जीवन-चक्र का औसत-प्रतिशत-सिविल मामले

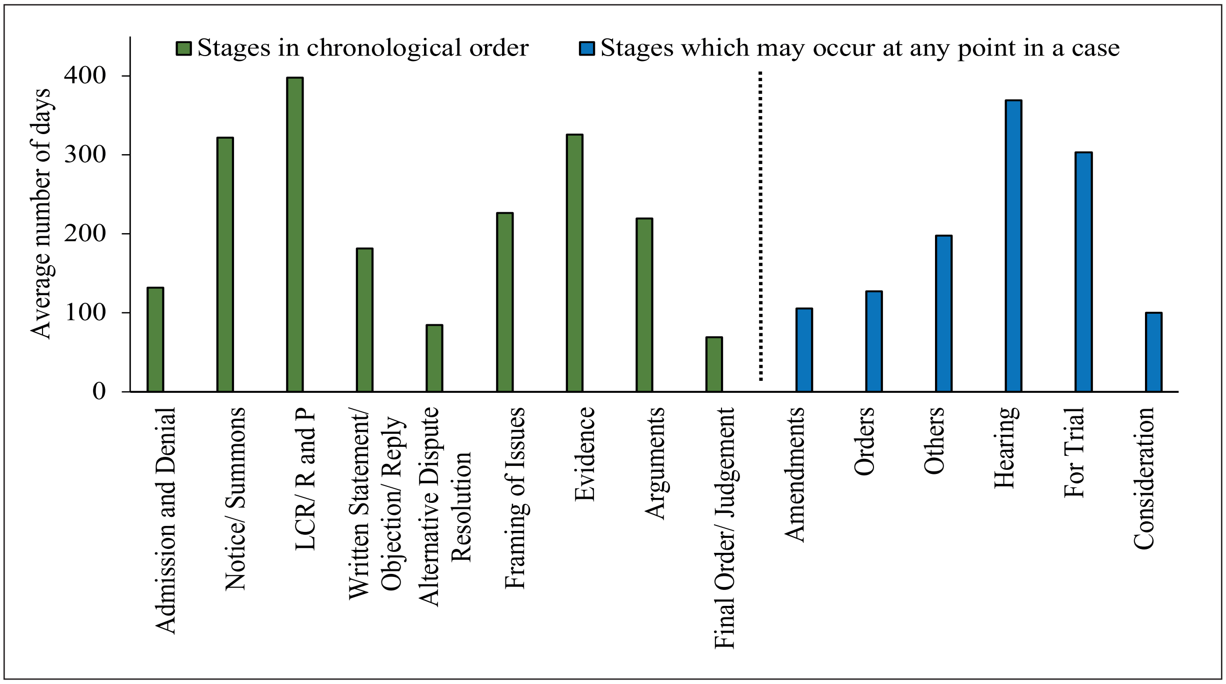

स्रोतः ई न्यायालय और दक्ष, 2019

5.22 कुछ अर्थशास्त्री इस विचार के हो सकते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली के अपेक्षाकृत घटिया निष्पादन का अर्थव्यवस्था पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, एक व्यवहारात्मक दृष्टिकोण इसमें कोई भेद नहीं करेगा क्योंकि मानव जाति को समग्र संदर्भ की प्रतिक्रियास्वरूप देखा जाता है। कानून के शासन की संस्कृति का समस्त अभिशासन के रूप में प्रसार किया जाना चाहिए और यदि इसे सीमित रखा जाता है तो इसमें सुधार नहीं किया जा सकता।

जीवन-चक्र विश्लेषण

5.23 विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से किसी मामले की प्रगति से पता लगता है कि कहां न्यायिक विलम्ब होता है और यह विलम्ब तथा बैक्लॉग को कम करने के लिए नीति निर्माण में सहायक हो सकता है। जीवन-चक्रों के विश्लेषण का संक्षिप्त रूप में विलम्ब के कारणों का इस बात पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि ऐसे विलम्ब का कारण प्रक्रियागत अक्षमताएं हैं या मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमियां। किसी सिविल मामले में व्यतीत मामला जीवन-चक्र का औसत प्रतिशत नीचे प्रस्तुत किया गया है। इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, हमने 15 राज्यों के जिला और सत्र न्यायालयों को शामिल करके ई-न्यायालय सेवा पोर्टल से आंकड़ों, 18 सितम्बर, 2018 और 29 जनवरी, 2019 के बीच का सार, का उपयोग किया है।

5.24 चित्र 9 यह दर्शाता है कि इन प्रतिशतता अवस्थाओं को आनुक्रमिक क्रम में बायें से दायें वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि, ऐसा किसी अवस्था के विशिष्ट बिन्दुओं पर नहीं होता है, क्योंकि कुछ किसी विशिष्ट बिन्दु, जैसे कि आदेशों पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी मामले सभी अवस्थाओं से नहीं गुजरते हैं, किन्तु ऐसे मामले जो किसी विशेष अवस्था से गुजरते हैं, उन्हें उस अवस्था में अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग गुजारना पड़ सकता है।

5.25 ई-न्यायालय के आंकडों से पता चलता है कि अधिकतर समय एलसीआर/आर एंड पी (निचला न्यायालय रिकार्ड - अभिलेख और कार्यवाही) स्तर पर लगता है। इस स्तर पर, मामलों में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि न्यायालय को सबसे पहले निचले न्यायालय से मामले के अभिलेखों की प्राप्ति करनी होती है। सिविल मामलों में इस स्तर पर औसतन 398 दिनों का समय लगता है और 'सुनवाई' स्तर पर 369 दिनों का समय लगता है। इस अदक्षता के चलते किसी मामले के जीवन-चक्र का महत्वपूर्ण भाग इसी स्तर में चला जाता है और यह विलंब तथा बैकलॉग को बढावा देने वाले प्रमुख कारकों

चित्र 10: किसी विशिष्ट अवस्था में व्यतीत किसी मामले के जीवन-चक्र का औसत प्रतिशत-आपराधिक मामले

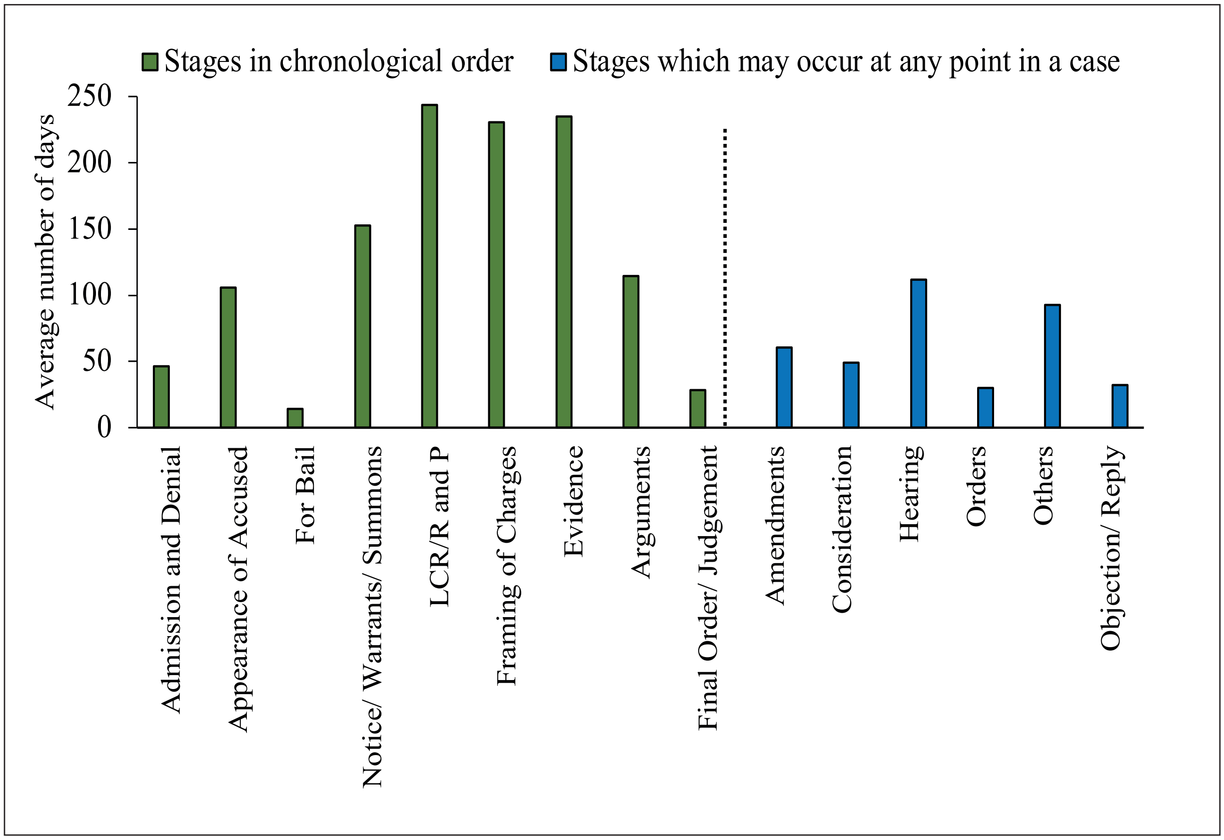

स्रोत: ई न्यायालय और दक्ष, 2019

में से एक है। 'नोटिस/समन' और 'साक्ष्य' स्तरों पर भी क्रमश: औसतन 322 और 325 दिनों का समय व्यतीत हो जाता है।

5.26 चित्र 10 प्रकट करता है कि सिविल मामलों की तरह, आपराधिक मामलों में भी निचली अदालतों के रिकार्ड की प्रतिक्षा से विलंब होता है, क्योंकि इसी चरण में उनमें औसतन 243 दिनों का सबसे अधिक समय लगता है। 'साक्ष्य' स्तर और 'दोष सिद्धि' स्तर पर क्रमश: 235 और 231 दिनों का समय लगता है, जबकि आपराधिक मामलों के अन्य सभी स्तरों पर काकी कम समय लगता है। सिविल और आपराधिक दोनों के लिए प्रक्रिया में इन विशिष्ट स्तरों पर विलंब को लक्षित करके तेजी लाई जा सकती है।

5.27 इसके अलावा, चित्र 11 सिविल और आपराधिक मामलों के लिए सुनवाई के बीच दिनों की राज्य-वार औसत संख्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में, प्रमुखतया सिविल मामलों में, किसी अन्य स्तर के मुकाबले सुनवाई स्तर पर सिविल मामलों में 78.1 दिन की औसत (15 राज्यों में) की तुलना में अधिक समय - लगभग 301.4 दिन लगता है। सभी मामलों के लिए 15 राज्यों की 55.1 दिनों की औसत की तुलना में पश्चिम बंगाल में सुनवाई के बीच औसत भी सबसे अधिक - 167 दिन है।

राज्य-वार मामला निस्तारण दर

5.28 चित्र 12 यह दर्शाता है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में 2018 में निस्तारण दर 100 प्रतिशत से ऊपर रही है। इन राज्यों ने कार्यक्षमता का वह स्तर प्राप्त कर लिया है जहां वे न केवल दर्ज किए गए नये मामलों से निपटने में समर्थ हैं अपितु पिछले वर्षों से वे बैक्लॉग का भी निराकरण कर सकते हैं। मध्यप्रदेश, असम और तमिलनाडु में भी महत्वपूर्ण उच्च निस्तारण दरें 100 प्रतिशत के आस-पास हैं। पुन:, भारत के पूर्वी राज्यों का निष्पादन बहुत खराब है। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निस्तारण दर क्रमश: 55.58 प्रतिशत, 62.18 प्रतिशत और

चित्र 11: सुनवाई के बीच दिनों की राज्य-वार औसत संख्या: सिविल और आपराधिक मामले

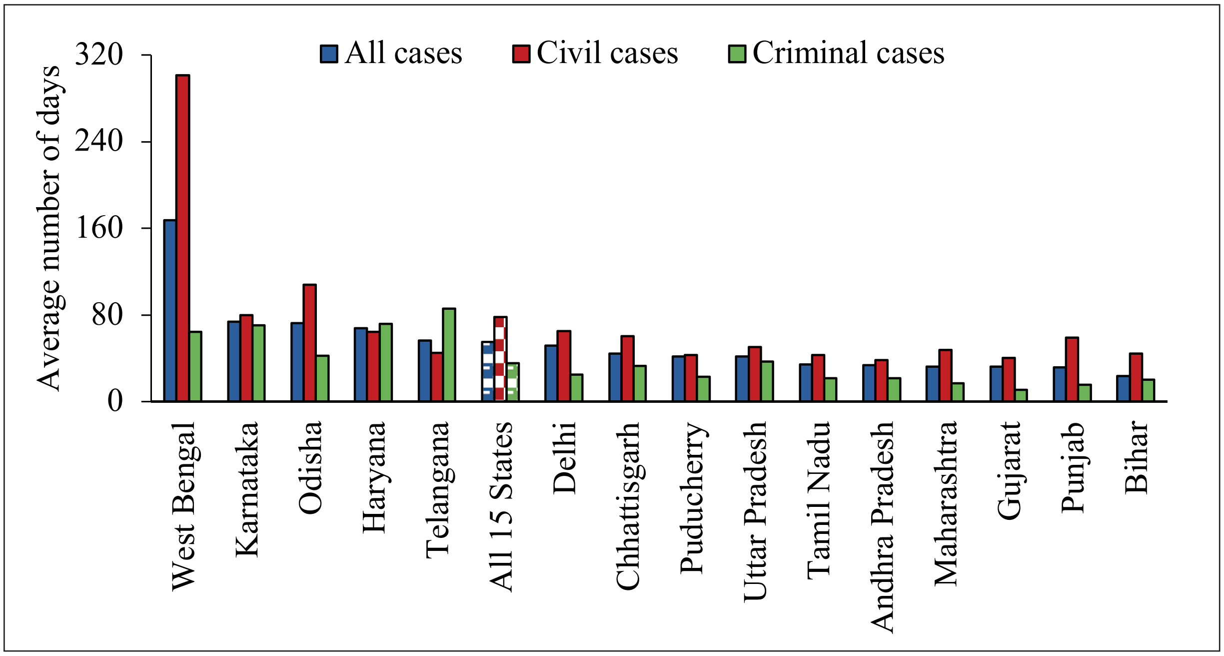

स्रोत: ई न्यायालय और दक्ष, 2019

78.63 प्रतिशत है। अत: हमारा सुझाव है कि इन राज्यों को अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.29 उस सीमा में भी काफी अंतर है जिस तक प्रत्येक राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका नये मामलों के अंतर्वाह से निपटने में समर्थ है। अत: न्यायालयों की मांग और अनेक राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों की मौजूदा क्षमता के बीच बड़े अंतराल हैं- जो संभवत: राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

5.30 चित्र 13 से यह पता चलता है कि रिक्त पदों और

चित्र 12: राज्य-वार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में संस्थापन-निपटान अंतराल और मामला निस्तारण दर-2018

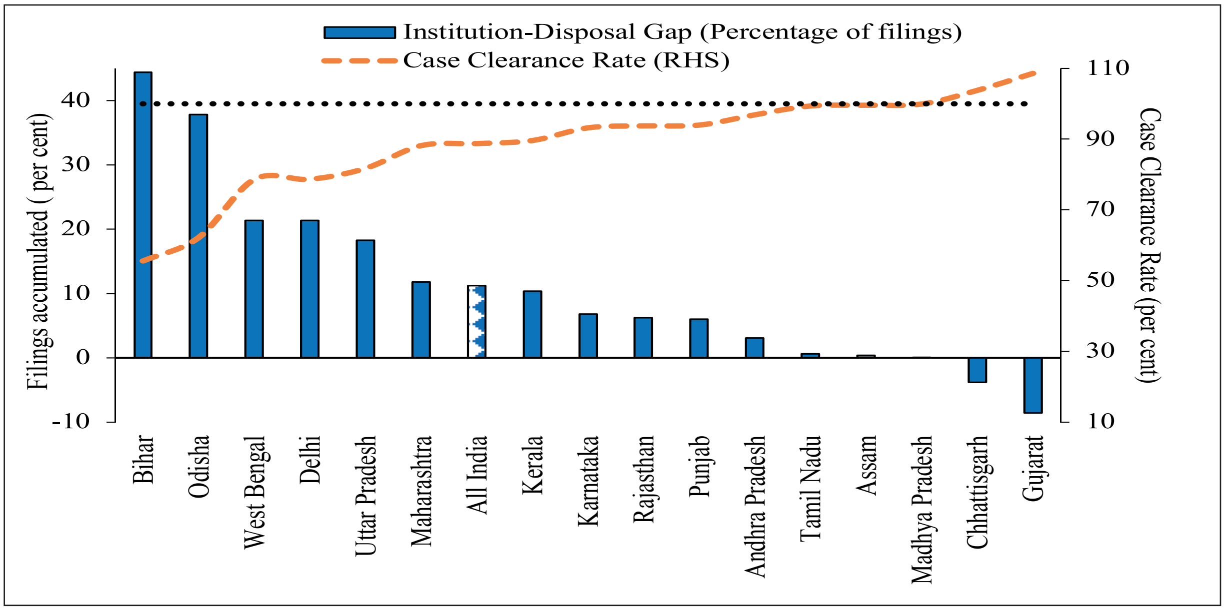

स्रोत: एनजेडीजी, 2019

लंबित मामलों के बीच कोई सह-संबंध होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में यह खास तौर पर सच है। इन राज्यों में, रिक्त पद भरने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। तथापि, इस पर ध्यान दिया जाए कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुछेक पद ही रिक्त हैं किन्तु वहां लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीशों के राष्ट्रीय आवंटन पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

5.31 इस पर भी ध्यान दिया जाए कि यद्यपि गुजरात और मध्य प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है फिर भी उन्होंने क्रमश: 108.59 प्रतिशत और 99.94 प्रतिशत की मामला निस्तारण दर प्राप्त कर ली है। एनजेडीजी के आंकड़े यह सुझाव देते हैं कि यह हालिया सुधारों के कारण संभव हुआ है। इन राज्यों की कार्यक्षमता में वृद्धि का अध्ययन और उनकी पुनरावृत्ति की जानी चाहिए।

चित्र 13: राज्य-वार लंबित मामले, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायधीशों के रिक्त पद और मामला निस्तारण दर

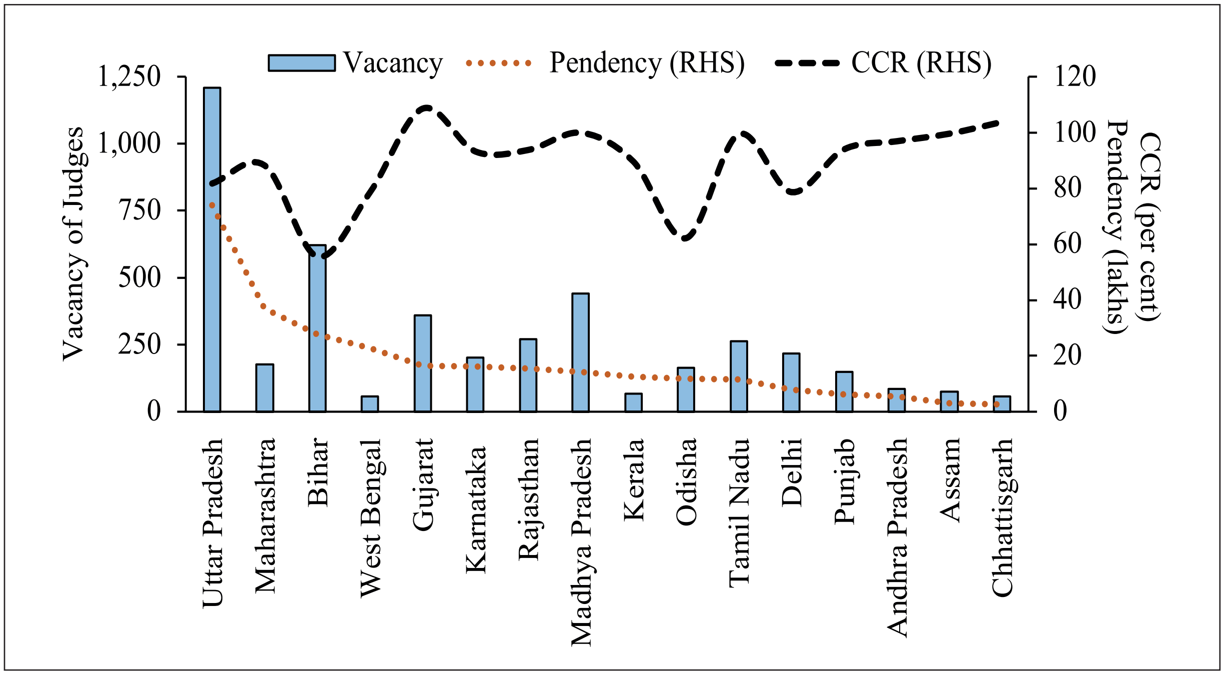

स्रोत: एनजेडीजी और लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 675, 2019

भारतीय न्यायालयों को और अधिक कार्यशील बनाना

5.32 अत:, अभी तक किए गए विश्लेषण से हमें इस बात का पता चलता है कि मौजूदा कार्यक्षमता दर और विलंबों के स्वरूप के अनुसार निस्तारण दर में वृद्धि करने के लिए कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। तथापि, प्रक्रिया की क्षमता में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। सारणी 3 में दर्शाए गए अनुसार, निचली अदालतों में बैकलॉग को कार्यक्षमता में 24.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से संपूर्ण संस्वीकृत संख्या के साथ पांच वर्षों में समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान कार्य बल के अनुसार, कार्यक्षमता में 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। संपूर्ण संस्वीकृत संख्या के साथ, उच्च न्यायालयों में बैकलॉग को समाप्त करने के लिए कार्यक्षमता में केवल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी, यद्यपि रिक्ति दरें काफी उच्च हैं फिर भी, वर्तमान कार्य बल के अनुसार अपेक्षित दर 68 प्रतिशत है। उच्चतम न्यायालय के लिए ये संख्याएं क्रमश: 18 प्रतिशत और 31 प्रतिशत हैं।

5.33 पिछले कुछ वर्षों में, अनुसंधानकर्ताओं और आधिकारिक समितियों ने न्यायपालिका ने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। कुछ सुझावों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना: इस बात का प्राय: उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्यायालय छुट्टियों के कारण लंबी अवधि के लिए बंद हो जाते हैं। इन छुट्टियों की अवधि अलग-अलग न्यायालयों में भिन्न होती है, परंतु इनका कार्यदिवसों की संख्या पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पडता है। उदाहरणार्थ, उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2019 के आधिकारिक कैलेंडर में सुझाया गया है कि यह ग्रीष्मकालीन

सारणी 3: अपेक्षित कार्यक्षमता वर्धन का परिदृश्यात्मक विश्लेषण

विवरण	डीएंडएस न्यायालय	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
2018 में संस्थित मामले	1,50,40,971	17,93,546	33,743
2018 में मामलों का निपटान	1,33,41,478	15,75,435	33,011
मामलों का बैकलॉग	3,03,95,534	42,39,966	56,320
न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या	22,750	1,079	31
न्यायाधीशों का कार्य बल	17,891	671	28
प्रति न्यायाधीश वर्तमान निपटान दर	746	2,348	1,415*
मामला निस्तारण दर	89%	88%	98%
परिदृश्य I: सतत उत्पादकता			
100 प्रतिशत सीसीआर पाने के लिए कुल अपेक्षित न्यायाधीश	20,170	764	29
100 प्रतिशत सीसीआर पाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीश (मौजूदा कार्य बल के अतिरिक्त)	2,279	93	1
पांच वर्षों में बैकलॉग समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीश	10,431	454	9
पांच वर्षों में बैकलॉग समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीश (मौजूदा कार्य बल के अतिरिक्त)	5,572	46	6
परिदृश्य II: अपेक्षित उत्पादकता वर्धन			
संपूर्ण संस्वीकृत संख्या के अनुसार पांच वर्षों में बैकलाग समाप्त करने हेतु अपेक्षित उत्पादकता वर्धन	24.5%	4.3%	18%
मौजूदा कार्य बल के अनुसार पांच वर्षों में बैकलाग समाप्त करने हेतु अपेक्षित उत्पादकता वर्धन	58%	68%	31%#
कार्यदिवसों की औसत संख्या	244	232	190

स्रोत: उच्चतम न्यायालय वार्षिक रिपोर्ट 2018, विविध न्यायालय कैलेंडर 2019, एनजेडीजी 2019 और समीक्षा संगणना।

टिप्पणी: मामलों के बैकलॉग के लिए डाटा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या और कार्य बल क्रमश: दिसंबर 2018, जून 2018 और अक्तूबर 2018 की स्थिति के अनुसार है।

*जनवरी-अक्तूबर 2018 डाटा का प्रयोग करते हुए पूर्ण वर्ष हेतु समायोजित।

#मई 2019 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय अपनी संपूर्ण संस्वीकृत संख्या पर कार्य कर रहा है।

छुट्टियों के लिए 49 दिनों के लिए, शीतकालीन विराम के लिए 14 दिन और इसके अलावा, होली, दीवाली और दशहरा के लिए 18 दिनों के लिए बंद रहेगा। शनिवार और रविवार तथा सरकारी छुट्टियों की गणना करने के लिए पश्चात् उच्चतम न्यायालय के लिए 190 कार्यदिवस बचते हैं। इसके विपरीत, यह औसत उच्च न्यायालयों के लिए 232 कार्यदिवस और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 244 दिवस है। छुट्टियों के बदले शनिवारों को कार्यदिवस में बदलने से राज्यों और अनेक न्यायालयों के बीच काफी भिन्नता आ जाती है। तुलना के लिए, केंद्रीय सरकारी कार्यालय 2019 से 244 कार्यदिवसों के लिए खुले रहेंगे। (ध्यातव्य हो कि उपर्युक्त संगणनाओं में वयैक्तिक छुट्टियां शामिल नहीं हैं।

मुख्य निष्कर्ष यह है कि कार्यदिवसों की संख्या को बढ़ाने से उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों की उत्पादकता में सुधार लाया जा सकता है, परंतु इससे निचली अदालतों पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय, जिनमें लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, में कार्यदिवसों की संख्या सरकारी कार्यालयों के कार्यदिवसों की संख्या के लगभग समान ही है।

ख) भारतीय न्यायालयों और अधिकरण सेवाओं की स्थापना: अधिकतर न्यायायिक सुधारों का रुझान न्यायाधीशों की गुणवत्ता और संख्या पर ही विशेष ध्यान देने वाला रहा है, परंतु प्रमुख समस्या न्यायालयों की प्रणाली, प्रमुखतया अनुषंगी और अप्रत्यक्ष कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रशासन की गुणवत्ता से सहबद्ध है। इस अध्याय में पहले उल्लिखित प्रक्रिया संबंधी विलंबों में कमी लाने की अत्यधिक जरूरत है। राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा पेश की गई हालिया रिपोर्ट में दिया गया है, ''कार्यक्षम कार्यप्रणाली के लिए, न्यायालयों को सक्षम प्रशासन की अपेक्षा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियाओं का अनुसरण हो, दस्तावेज प्रस्तुत और भंडारित हो, सुविधाओं का रखरखाव हो, मानव संसाधन का प्रबंधन हो। न्यायालय प्रशासन को न्यायाधीशों की उनके महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य को कार्यक्षम तरीके से करने में सहायता करनी चाहिए।''[4]

वर्तमान प्रणाली में, भारतीय न्यायालयों में प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य न्यायिक अधिकारी को सौंपी गई है। उसके पास इस कार्य के लिए अत्यधिक कम समय होने के अलावा, यह अवधारणा प्रणालीगत सुधारों और प्रशासनिक सुधारों संबंधी संस्थागत ज्ञान के क्रमिक संचय में सहायक नहीं है। इस संदर्भ में, भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा (आईसीटीएस) नामक विशिष्ट सेवा का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है जो विधिक प्रणाली के प्रशासनिक पहलूओं पर विशेष ध्यान देती है। आईसीटीएस द्वारा अदा की जाने वाली प्रमुख भूमिकाएं (i) न्यायपालिका के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायक कार्य करना (ii) प्रक्रिया से जुड़ी अक्षमताओं की पहचान करना और न्यायपालिका को विधिक सुधारों के संबंध में सलाह देना और (iii) प्रक्रिया पुन:अभियांत्रिकी का क्रियान्वयन।

आईसीटीएस कोई अनूठा मॉडल नहीं है। इसी प्रकार, न्यायालय प्रबंधन सेवाएं अन्य देशों में भी मौजूद हैं: हर मेजस्टीस कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स सर्विसेज (यूके), एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूएस कोर्ट्स (यूएस), कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस (कनाडा)।

ग) प्रौद्योगिकी का उपयोग: प्रौद्योगिकी से न्यायालय की क्षमता में काफी में काफी सुधार आ सकता है। इस दिशा में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना एक प्रमुख प्रयास है, जो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चरणों में किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का सृजन संभव हो पाया है। यह प्रणाली अधिकतर मामलों, उनकी स्थिति और प्रगति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखती है। इस अध्याय में ज्यादातर विश्लेषण एनजेडीजी और ई-न्यायालय पोर्टल्स पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों द्वारा संभव हो पाया है। अब, मामलों का डिजिटलीकरण होने से हितधारक व्यष्टिगत मामलों और उनकी बदलती स्थिति का हिसाब रख सकते हैं। अभी यह संभव नहीं है कि इस प्रयास से कार्यक्षमता में हुई बढ़ोतरी का सांख्यिकीय रूप से आकलन किया जा सके, परंतु यह निश्चित रूप से काफी बड़ा भावी कदम है।

5.34 बेहतर प्रशासन, कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर और प्रौद्योगिकी (आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के संभावित भावी अनुप्रयोगों सहित) के प्रयोग से महत्वपूर्ण उत्पादकता लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सटीक सुधार का पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन है, लेकिन इस विश्लेषण का प्रयोजन यह दर्शाना है कि बैकलॉग और समाप्त करने के लिए अपेक्षित कार्यक्षमता वर्धन उच्चाकांक्षी हैं परंतु अगर इन्हें नियुक्तियों की गति में वृद्धि करने के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये हासिल किए जा सकने योग्य हैं। इस मुद्दे के सामाजिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे नीति-निर्धारकों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[4] Pratik Dutta *et al.*, "How to Modernize the Working of Courts and Tribunals in India", NIPFP Working Paper, 258, March 2019.

अध्याय, एक नज़र में
➢ भारत में व्यवसाय करने के कार्य को सुगम बनाने और उच्चतर जीडीपी वृद्धि में हाल में तार्किक रूप से एकमात्र सबसे बड़ी बाधा संविदा प्रवर्तन में विलम्ब और निपटान का समाधान है।
➢ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 87.5 प्रतिशत लंबित मामले हैं। इसलिए, इस ओर विशेष सुधार किया जाना चाहिए।
➢ अध्ययन में पाया गया है कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में मात्र कुछ रिक्तियों को भरकर 100 प्रतिशत निस्तारण दर हासिल की जा सकती है (उत्पादकता वृद्धि के बिना भी)।
➢ पांच वर्षों में बैकलॉग को समाप्त करने के लिए कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के अनुकरण और अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता यह दर्शाती है कि संख्याएं बड़ी परंतु साध्य हैं।
➢ उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

संदर्भ

Court News. Publication. Supreme Court of India. 2018. Accessed June 29, 2019. https://www.sci.gov.in/pdf/CourtNews/COURT_NEWS_OCTOBER-DECEMBER_2017.pdf.

Dutta, Pratik, *et.al.*, "How to Modernise the Working of Courts and Tribunals in India." *NIPFP Working Paper Series No. 258*, March 25, 2019. Accessed June 29, 2019. https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2019/03/WP_2019_258.pdf.

European Union. CEPEJ. *European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice*. Series 26. Brussels: Council of Europe, 2018.

India. Ministry of Law. Department of Justice. *Lok Sabha Unstarred Question No. 675*. New Delhi, 2019. 1-40.

____. Department of Justice. Ministry of Law. National Judicial Data Grid. Accessed June 29, 2019. https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/index.php.

Supreme Court. *Indian Judiciary: Annual Report 2017–2018*. New Delhi, DELHI, 2018.